बिहार विधान परिषद्

208वां शीतकालीन सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

29 नवम्बर, 2024

[शिक्षा - विज्ञान एवं प्रावैधिकी - तकनीकी शिक्षा - खान एवं भूतत्व - कला, संस्कृति एवं युवा खेल].

अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या- 18

नियमित वेतन का भुगतान

33. **प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या मंत्री, **शिक्षा** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के अधिकांश जिलों, विशेषकर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर एवं वैशाली जिला के माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को वेतन मद में आवंटन रहने के बावजूद नियमित रूप से भुगतान नहीं हो रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त वर्णित जिलों के शिक्षकों का बकाया वेतन वर्षों से लंबित रहता है, जबकि सरकार के द्वारा आवंटन उपलब्ध कराने के बाद भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के स्तर से वेतन व अन्य बकाये का भुगतान के बाद भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ससमय नहीं किया जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के वैसे जिले जहां आवंटन रहने के वाबजूद शिक्षकों का वेतन भुगतान नियमित रूप से नहीं हो रहा है, क्या उक्त जिलों के माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को नियमित रूप से बकाया सहित वेतन का भुगतान कराने की कोई कारगर व्यवस्था करने

का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक ?

महिला कर्मियों को नियमित वेतन भुगतान

34. **प्रो. (डा.) नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

क्या मंत्री, **शिक्षा** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत महिला कर्मियों को संवैतनिक मातृत्व अवकाश देय है ;

(ख) क्या यह सही है कि मातृत्व अवकाश के बाद महिला कर्मचारियों द्वारा कार्यालय में योगदान के पश्चात मातृत्व अवकाश स्वीकृत होने के बाद वेतन भुगतान किया जाता है ;

(ग) क्या यह सही है कि मातृत्व अवकाश के दौरान महिलाओं को पैसे की आवश्यकता होती है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों का उतर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मातृत्व अवकाश के दौरान भी महिला कर्मियों का वेतन बाधित को परिवर्तित कर नियमित वेतन भुगतान करने पर विचार करती है यदि हां तो कबतक ?

फर्जी शिक्षक नियुक्ति

35. **श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **शिक्षा** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि बिहार के स्कूलों में दूसरों के सर्टिफिकेट पर दस साल पूर्व नियुक्त 42 फर्जी शिक्षक आज भी स्कूलों में अध्यापन कार्य कर रहें हैं और वर्ष 2025 में होने वाले बिहार विधान सभा के आम चुनाव में ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं ;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो ऐसे फर्जी शिक्षकों को सेवा में बनाये रखने का क्या औचित्य है, तथा इनकी फर्जी नियुक्ति के लिए विभाग के कौन-कौन पदाधिकारी जिम्मेवार हैं एवं सरकार उनके विरूद्ध कौन सी कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि हॉ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

शिक्षकों का वेतन भुगतान

36. **श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):**

क्या मंत्री, **शिक्षा** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के विलंब से विद्यालय आने

अथवा एक दिन अनुपस्थित रहने के कारण सात दिनों का वेतन कटौती किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार विधान मंडल में मुख्यमंत्री जी द्वारा विद्यालय संचालन की अवधि 10 बजे से 4 बजे किए जाने की घोषणा से भ्रम की स्थिति में हजारों शिक्षकों का वेतन कटा है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रभावित शिक्षकों का वेतन भुगतान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

एल० एल० एम० की पढ़ाई कबतक

37. **श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

क्या मंत्री, **शिक्षा** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला अंतर्गत वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय ,आरा में एल० एल० एम० की पढ़ाई नहीं हो रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय ,आरा में एल० एल० एम० की पढ़ाई शीघ्र प्रारंभ कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक?

ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान

38. **श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया):**

क्या मंत्री, **शिक्षा** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं०- 1729, दिनांक 07.10.2024 (स्थानांतरण/ पदस्थापन नीति से संबंधित) के कण्डिका-2 के क्रम संख्या-(vi) में ''शिक्षकों को उनके सेवाकाल के प्रत्येक पांच वर्ष पर स्थानांतरण'' की अनिवार्यता का प्रावधान किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित ऐसी अनावश्यक नियमों से शिक्षकों को मनोयोगपूर्वक पठन-पाठन करने में कठिनाई होगी और शिक्षा की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त शिक्षकों को पूरे सेवाकाल में मात्र दो बार ही ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, यदि नहीं तो क्यों ?

मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में अपग्रेडेशन

39. **डा. अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **शिक्षा** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सुपौल जिला के परसरमा पंचायत के परसौनी गाँव में हाई स्कूल नहीं है ;

(ख) क्या यह सही है कि परसरमा ग्राम (सुपौल प्रखंड) में स्थित उच्च विद्यायल की दूरी परसौनी गाँव से दो कि०मी० से अधिक है;

(ग) क्या यह सही है कि परसौनी गाँव से छात्राओं को उच्च विद्यालय परसरमा जाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सुपौल जिले के सुपौल प्रखंड के परसौनी मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में अपग्रेड करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

गैर अनुदानित मदरसों को अनुदान

40. **श्री मो. सोहैब(विधान सभा) :**
श्री आफाक अहमद(सारण शिक्षक) :

क्या मंत्री, **शिक्षा** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के संकल्प सं० -162, दिनांक-15.02.2011 के अनुसार 2459+1 कोटि के गैर अनुदानित मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें से अबतक मात्र 814 गैर अनुदानित मदरसों को ही अनुदान दिया गया है ;

(ख) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय CWJC-20406/18 के आदेश के आलोक में विभाग के अपर सचिव के पत्रांक-152, दिनांक- 09.02.2023 एवं मदरसा बोर्ड के पत्रांक-37, दिनांक-13.02.2023 के द्वारा राज्य के सभी जिलों से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जिसका प्रतिवेदन सभी जिलों से विभाग/मदरसा बोर्ड को उपलब्ध कराया जा चुका है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपलब्ध जाँच प्रतिवेदन के आधार पर बचे हुए सभी गैर अनुदानित मदरसों को अविलम्ब अनुदान देना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

विद्यालय का जीर्णोद्धार

41. **श्री दिलीप कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, औरंगाबाद):**

क्या मंत्री, **शिक्षा** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि विभागीय पत्रांक- 04/वि०16 -113/2024-1440, दिंनाक-18-06-24 को विद्यालय के जीर्णोद्धार सम्बंधित सुची माननीय प्रतिनिधियों से किया गया था जिसमे औरंगाबाद जिला के विभिन्न प्रखंडों को विद्यालय के जीर्णोद्धार संबंधित सूची विभाग को उपलब्ध कराया गया है;

(ख) क्या यह सही है की पत्रांक-1965, दिंनाक -24-09-24 को प्रबंध निदेशक ,प्रशासक-सह-अपर सचिव के द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड पटना को अग्रतर कार्रवाई हेतु पत्राचार किया गया है;

(ग) क्या यह सही है की उक्त पत्र के आलोक में निगम द्वारा अबतक कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं किया गया है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकरात्मक हैं, तो क्या सरकार माननीय जनप्रतिनिधियो से प्राप्त अनुशंसित विद्यालय को जीर्णोद्धार कराना चाहती हैं, यदि हां तो कबतक ?

जिला खनिज फाउंडेशन

42. **श्री तरुण कुमार (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **खान एवं भूतत्व** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि केंद्र सरकार के खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम में संशोधन के माध्यम से, 2015 में भारत सरकार ने खनन से प्रभावित सभी जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान किया है;

(ख) क्या यह सही है की समस्तीपुर जिले में भी खनन कार्य किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिले में जिला खनिज फाउंडेशन का गठन किया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि सरकार खनन पट्टा धारकों को रॉयलिटी जमा करने हेतु कोई निर्देश निर्गत किया गया है,

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों का उतर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रॉयलिटी के रूप में प्राप्त कोष से अब तक कोई कल्याण कार्य किये गए हैं, यदि नही तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

43. श्री भीसम साहनी (विधान सभा):

क्या मंत्री, **खेल** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला अंतर्गत बगहा 01 प्रखंड के बबुई टोला अवस्थित खेल के मैदान में आस पास के प्रखंडों के युवा अभ्यास हेतु वहां जाते है;

(ख) क्या यह सही है उक्त मैदान सरकार की अनदेखी के कारण क्षतिग्रस्त/जर्जर एवं अतिक्रमण का शिकार हो गया है;

(ग) क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार को खेल के क्षेत्र में अन्य राज्यों से उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने हेतु कई योजना चला रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मैदान को स्टेडियम में परिवर्तन कर मुख्यमंत्री जी के विचारों को सफल बनाने का विचार रखती हैं, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नवनिर्मित स्टेडियम का रख-रखाव

44. श्री सच्चिदानंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):

क्या मंत्री, **खेल** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिला अंतर्गत बनियापुर प्रखंड अंतर्गत लोक महाविद्यालय, हाफिजपुर में खेल स्टेडियम का निर्माण 03 वर्ष पूर्व में ही हो चुका है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद अब तक किसी भी संस्था को संचालित करने का आदेश नहीं दिया गया हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त खेल स्टेडियम को अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया हैं साथ ही स्टेडियम में लगे खिड़की और दरवाजे की चोरी भी हो गयी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त खेल स्टेडियम को अतिक्रमणों से मुक्त कराकर एवं फिर से खिड़की एवं दरवाजों की मरमत्त कराकर किसी संस्था द्वारा संचालित कराने का विचार रखती हैं, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना की आवंटित राशि को खर्च

45. **श्रीमती शशि यादव (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **शिक्षा** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि महिला एवं बाल विकास निगम की बैठक में इस बत का खुलासा हुआ है कि भारत सरकार की बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत अप्रैल 2024 में आवंटित की गई राशि का एक पैसा भी राज्य के 17 जिलों में खर्च नहीं हो सका है; (अखबार कतरन दैनिक भाष्कर, 13.11.2024)

(ख) क्या यह सही है कि यदि यह राशि समय पर खर्च नहीं हुई तो फरवरी 2025 में यह राशि वापस लौट जाएगी;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या विभाग समय पर इस राशि को खर्च करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों नहीं ?

स्वीकृत राशि का भुगतान

46. **श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

क्या मंत्री, **शिक्षा** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि रामजी प्रसाद शिक्षक, मध्य विद्यालय, करमलीचक का चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति राशि की स्वीकृति अपर सचिव, शिक्षा विभाग के पत्रांक-2113, दिनांक-21.10.2024 के द्वारा भुगतान किये जाने के आदेश के उपरान्त भी जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के द्वारा भुगतान नहीं की गयी है;

(ख) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्री प्रसाद की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति स्वीकृत राशि की भुगतान कराते हुए विलम्ब के लिए दोषी संबंधित पदाधिकारियों एवं लिपिकों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ

47. **प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या मंत्री, **शिक्षा** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त शिक्षकों को योगदान के दो वर्ष बाद ग्रेड पे के साथ वेतन भुगतान का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि 02 जनवरी और जुलाई की अवधि में नियुक्त प्रोन्नत अथवा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने वाले कर्मी को 01 जनवरी से वार्षिक वेतन वृद्धि जबकि 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच वाले को 01 जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि देय का प्रावधान है;

(ग) क्या यह सही है कि छठा चरण में अगस्त या सितम्बर 2022 में नियुक्त शिक्षकों को राज्य के अधिकांश जिला में 01 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए दो वर्ष बाद देय ग्रेड पे के लाभ के साथ वेतन निर्धारण करते हुए वेतन भुगतान किया जा रहा है;

(घ) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत छठा चरण अन्तर्गत अगस्त या सितम्बर 2022 में नियुक्त शिक्षकों को डेढ़ वर्ष बाद, जनवरी 2024 में एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए भुगतान किया जा रहा है एवं आजतक दो वर्ष बाद देय वेतन वृद्धि का न तो निर्धारण किया गया है और न ही भुगतान;

(ङ) यदि उपरोक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित शिक्षकों को 01 जुलाई से वेतन वृद्धि का लाभ देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

ऐच्छिक पदस्थापन/ स्थानांतरण

48. **श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया):**

क्या मंत्री, **शिक्षा** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं० 1729, दिनांक 07.10.2024 राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण/ पदस्थापन नीति से संबंधित है ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्थानांतरण नीति के कण्डिका-1 के क्रम संख्या (i), (ii), (iii) तथा (iv) पर असाध्य रोग, गंभीर रूग्णता/ दिव्यांगता से प्रभावित शिक्षकों के लिए स्थानांतरण/ पदस्थापन नीति में इन्हें स्थानांतरण हेतु शर्त के अधीन रखा गया है ;

(ग) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित संकल्प के कण्डिका-1 में रूग्णता/ दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति में "स्वयं/ पति-पत्नी/ बच्चों" का ही उल्लेख है ;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार असाध्य रोग, गंभीर रूग्णता/ दिव्यांगता से प्रभावित शिक्षकों को बिना शर्त के ऐच्छिक पदस्थापन/ स्थानांतरण का प्रावधान एवं रूग्णता/ दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति में "माता-पिता" को भी शामिल करना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

शिक्षक के पद पर नियुक्ति

49. श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):

क्या मंत्री, **शिक्षा** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि स्व० वीरेंद्र कुमार गुप्ता जो ग्राम+पोस्ट-देव, थाना-सिकरहटा, जिला-भोजपुर के निवासी थे तथा भोजपुर जिला सहार प्रखण्ड अंतर्गत खडाँव चतुर्भुज पंचायत के न्यू प्राथमिक विद्यालय, बथानी टोला में नियोजित पंचायत शिक्षक के पद पर कार्यरत थे जिनकी मृत्यु दिनांक:-04 मई 2019 को हो गयी थी;

(ख) क्या यह सही है कि उनकी मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित पुत्र श्री राजू कुमार के द्वारा दिनांक:-09.09.2019 को अनुकंपा के आधार पर शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विभाग में आवेदन दिया गया है इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है;

(ग) क्या यह सही है कि अनुकंपा पर नियुक्ति के इसी प्रकार के एक मामले में प्रखण्ड शिक्षक नियोजन समिती, राजापाकर, जिला-वैशाली के ज्ञापांक-330, दिनांक:-20.05.2023 के द्वारा श्री तुलसी कुमार पिता-स्व० अरुण कुमार, ग्राम+पोस्ट-बिरना लखनसेन, थाना-महुआ, प्रखण्ड-राजापाकर, जिला-वैशाली की नियुक्ति उ० म० विद्यालय, मुकुन्दपुर में शिक्षक के पद पर हुई है;

(घ) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री राजू कुमार की शिक्षक के पद पर शीघ्र नियुक्ति करने करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्रखंड संसाधन केंद्र का भवन निर्माण कबतक

50. श्री सच्चिदानंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):

क्या मंत्री, **शिक्षा** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड संसाधन केंद्र भवन का निर्माण कार्य 20 वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ था;

(ख) क्या यह सही है कि 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी उक्त भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है;

(ग) क्या यह सही है कि प्रखंड संसाधन केंद्र का कार्यालय आदर्श मध्य विद्यालय, तरैया में संचालित हैं जिसके कारण उक्त विद्यालय के छात्र - छात्राओं के पठन पाठन में परेशानी होती हैं;

(घ) क्या यह सही है कि उक्त निर्माणधीन भवन का निर्माण कराने वाले संवेदक पर कोई ठोस कारवाई नहीं हुई है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड संसाधन केंद्र का भवन निर्माण जल्द से जल्द कराने के साथ साथ संवेदक पर ठोस कारवाई करने का विचार रखती हैं, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पटना- 800015. **अखिलेश कुमार झा,**

29 नवम्बर, 2024. **सचिव, बिहार विधान परिषद्**